

समाचार प्रकाशनार्थरू.

18 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा
दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन
बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त
रतलाम 7 मई । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देषानुसार
वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर
2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 6 मई को प्रातः
14 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम
आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा
जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे
सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना
सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।
7 मई षुक्रवार को झोन क्रमांक 1 में सतीष गोवर्धन ए बबीता पति सतीष ए बादल,
दिलीप ए अजय विनोद ए विक्की दिनेष ए राकेष रतनलाल ए उमेष प्रहलाद ए झोन क्रमांक 2
में सुगनाबाई पति षंकर ए रवि सुदेष ए राजेष रामप्रसाद ए भागाबाई पति बसंतीलाल ए
राकेष अषोक ए विषाल कैलाष ए झोन क्रमांक 3 में धर्मन्द रामचन्द्र ए दोपहर की षिफ्ट
में झोन क्रमांक 2 में विमलाबाई पति पंकज ए दीपक अन्नी ए कृष्णाबाई पति
बसंतीलाल ए इन्द्राबाई पति दिनेष इस तरह कुल 18 सफाई मित्र द्वारा बिना सूचना
के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा
जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।
ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य
स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा
रतलाम 7 मई । षहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 06 मई षुक्रवार को निरीक्षण किये जाने
पर रात्रिकालीन सफाई के 6 कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने

पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

6 मई षुक्रवार को रात्रिकालीन सफाई के कर्मचारी नवीन फिरोज ए राजा कैलाष ए पंकज फिरोज ए नरेन्द्र नवीन ए सुधीर गोपाल व अमन सुदेष बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये गये।

कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहनों ने लगाई 210 ट्रीप

91 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 7 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर घर से पृथक पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले सूखे कचरे व सड़कों व नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टै चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 7 मई षनिवार को 210 ट्रीप लगाकर 91 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टै चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

7 मई षनिवार को मैजिक सूखा कचरा 42590 किलोए मैजिक गीला कचरा 21245 किलोए डम्पर से 20375 किलोए टै क्टर से 7145 किलोए सेनेटरी वेस्ट 1⁴⁶ किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 3⁴² किलो इस तरह कुल 91359⁴⁸ किलो कचरा जुलवानिया टै चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

75 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित स्वच्छता संबंधी विकायत हेतु टोल फ्री नम्बर 14420 पर कॉल करें कचरा पृथक्कीरण हेतु 4 कचरा पात्रों का उपयोग करें

रतलाम 7 मई। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक पॉलीथीन व निर्माताए भण्डारकर्ता ए विक्रेता ए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण ए विक्रय तथा उपयोग करें।

उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ ए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

सफाई से संबंधित शिकायतों के लिए नगर निगम रत्नाम के टोल फ्री नंबर 14420 पर शिकायत दर्ज करायें। अपने मोबाइल में स्वच्छ एप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निर्माण एवं विध्वंस सामग्री उठवाने के लिए भी टोल फ्री नंबर पर सूचना देवें। शिकायतों का निराकरण 24 घंटे में किया जाएगा।

नागरिक व व्यापारी घरों ए दुकानों व व्यावसायिक प्रतिश्ठानों में 4 प्रकार के डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। इनमें सूखा कचरा एंगीला कचरा एसेनेटरी वेस्ट एवं हानिकारक अपशिष्ट अलग अलग डस्टबिन में ही रखें। एवं अलग अलग 4 प्रकार का कचरा सफाई गाड़ी में ही अलग अलग डालें।

खुले स्थान में कचरा फेंककर सड़क ए नालाए नाली एवं वाटर बाड़ी गंदा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाकर दंडित किया जायेगा।

नेषनल लोक अदालत 14 मई को होगी आयोजित

निगम के करो की बकाया राष्ट्रि जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ लें
बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राष्ट्रि

रत्नाम 7 मई । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य षासन के निर्देषानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ,सरचार्जद्वारा में छूट देने हेतु आज 14 मई 2022 षनिवार को नेषनल लोक अदालत के तहत बकाया राष्ट्रि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेषनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राष्ट्रि रूपये 50ए0000, रूपये पचास हजारद्वारा तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिष्ठत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर

तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000₹. ,रूपये दस हजारद्व तक बकाया होने पर 100 प्रतिष्ठत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000₹. ,रूपये पचास हजारद्व से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000₹. ,रूपये एक लाखद्व तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिष्ठत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000₹. से अधिक तथा रूपये 50ए000₹. तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिष्ठत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000₹. ,रूपये एक लाखद्व से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिष्ठत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000₹. से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिष्ठत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ,व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्व ही दी जायेगी। यह छूट वर्श 2021.22 तक की बकाया राषि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 14०5०2022 की नेषनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 14 मई 2022 षनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेषन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित षिविर में उपस्थित होकर बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ,सरचार्जद्व में छूट का लाभ उठावें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत अवैध निर्माण का होगा प्रष्मन ,कम्पाउडिंगद्व

30 जून तक प्रष्मन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिष्ठत छूट

रतलाम 7 मई । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन ,कम्पाउडिंगद्व के तहत 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रष्मन ,कम्पाउडिंगद्व किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रष्मन ,कम्पाउडिंगद्व हेतु

नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिष्ठत के स्थान पर 30 प्रतिष्ठत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिष्ठत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रष्मन ,कम्पाउडिंगद्व 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं०
7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 7 मई। निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाइल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिष्न २०० के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक ७१ राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट इंट ए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर ७४७११४४०७८ पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

ज्वान पालकों को अपने ज्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही।

रतलाम 7 मई । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ज्वान पालते हैं वे अपने ज्वान का रजिस्टरै षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस बाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ज्वान पालकों द्वारा अपने ज्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ज्वान की भाँति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ज्वानों एवं ज्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ज्वान पालक जिन्होंने अपने ज्वान का रजिस्टरै षन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्टरै षन नहीं कराने वाले ज्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ज्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस बाखा में प्रति ज्वान पंजीयन बुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस बुल्क रूपये 500₹. प्रति ज्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्श 100₹. रूपये जमा कराना होगा। ज्वान पालकों को अधिकतम् 2 ज्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ज्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ज्वान का रजिस्टरै षन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस बाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ज्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 7 मई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिष्ठत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिष्ठत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 7 मई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नालेनालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नालेनालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफसफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफसफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारधन्यसंविधानमन्त्री 07/05/2022 द्वारा निगम रतलाम